# न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

**प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–581/2026**

**CNR No.UPRP010038652026**

**(पंजीयन सं० 989/2026)**

फैजान पुत्र जफर, साकिन ग्राम पीपलगाँव का मझरा जटपुरा, थाना भोट, जिला रामपुर, उ०प्र०।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश।

धारा–109(1), 191(2), 191(3), 190, 352, 351(3)बी०एन०एस०
थाना–भोट, जिला रामपुर।
अ०सं० 87/2026

## आदेश

अभियुक्त/प्रार्थी फैजान की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता मोनिस अली ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त/प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में फर्जी तरीके से झूठा अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी दिनांक 16–06–2026 से जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। अभियुक्त/प्रार्थी ने मुकदमा उपरोक्त की कथित घटना से सम्बन्धित कोई अपराध नहीं किया है और न ही अभियुक्त/प्रार्थी के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी हुई है। वादी मुकदमा अभियुक्त/प्रार्थी व उसके परिवार से चुनावी रंजिश मानता है और इसी चुनावी रंजिश की वजह से वादी मुकदमा ने पुलिस से सांठ–गांठ कर फर्जी घटना दर्शाकर अभियुक्त/प्रार्थी व उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा उपरोक्त दर्ज कराया है। अभियुक्त/प्रार्थी ने किसी के साथ कोई गाली–गलौज नहीं की है, न ही किसी को मारपीट करके घायल किया है और न ही किसी को जान से मारने की धमकी दी है। दिनांक 14–06–2026 को वादी मुकदमा ने साथियों के साथ मिलकर अभियुक्त/प्रार्थी के चाचा मौ०आरिफ के साथ मारपीट की थी। अभियुक्त/प्रार्थी के चाचा ने थाना में मु० अ०सं० 86/2026, धारा–351(3), 352, 115(2), 191(2)बी०एन०एस०के तहत दर्ज कराया था। उक्त मुकदमा से नाराज होकर वादी मुकदमा ने अपने अन्य साथियों के साथ दिनांक 15–06–2026 को दोबारा अभियुक्त/ प्रार्थी के दादा अमजद अली को रास्ते में रोककर जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी, जिससे उसके दादा गंभीर रूप से घायल हो गये थे, जिनका इलाज चल रहा है। इस घटना के सम्बन्ध में मुकदमा थाना पर अ०सं० 89/2026, अन्तर्गत धारा–109(1), 191(2), 191(3), 190, 352, 351(3)बी०एन०एस० के तहत दर्ज है।वादी मुकदमा ने क्रॉस केस बनाने के लिए उसी समय की फर्जी घटना दर्शाकर अभियुक्त/प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध मुकदमा उक्त दर्ज कराया है। घटना का कोई



Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.07.15 16:48:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निष्पक्ष व स्वतन्त्र साक्षी नहीं है, दिखाये गये साक्षी वादी मुकदमा के करीबी व परिवार के व्यक्ति है। अभियुक्त /प्रार्थी बी०फार्मा का छात्र है।अभियुक्त /प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतःअभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है।उसे रंजिशन झूठा फंसाया है। अभियुक्त/प्रार्थी ने अभियोजित अपराध नहीं किया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और न ही कोई घटना कारित की है। उनका तर्क है कि अभियुक्त /प्रार्थी से घटना में प्रयुक्त किसी उपकरण की बरामदगी नहीं हुई है। जबकि अभियुक्त /प्रार्थी दिनांक 16–06–2026 से जिला कारागार, रामपुर में निरूद्व है। उनका तर्क है कि उपरोक्त अभियोग गाँव की चुनावी रंजिश एवं पार्टीबन्दी में पुलिस से साज करके झूठा पंजीकृत कराया गया है और मिथ्या आधारों पर अभियुक्त/प्रार्थी को संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा न तो वादी पक्ष के किसी व्यक्ति को चोट पहुँचायी है और न ही गाली–गलौज कर मारपीट की है। अभियुक्त/प्रार्थी को उपरोक्त अभियोग में इसलिए फंसाया गया है, क्योंकि इस मामले के अभियुक्त पक्ष की ओर से इस घटना के एक दिन पूर्व दिनांक 14–06–2026 को इस मामले के वादी पक्ष की ओर से की गई आपराधिक घटना का अभियोग अ०सं० 86/2026 इस मामले के वादी पक्ष के विरूद्व पंजीकृत कराया गया था।इसलिए दिनांक 15–06–2026 के उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त/प्रार्थी को झूठा नामित किया गया है। उनका तर्क है कि दिनांक 15–06–2026 को ही इस मामले के अभियुक्त पक्ष की ओर से इस मामले के वादी पक्ष के विरूद्व अभियोग मु०अ०सं० 89/2026 पंजीकृत कराया गया है। इस मु०अ० सं० 87/2026 एवं अभियुक्त पक्ष की ओर से पंजीकृत कराये गये अभियोग मु० अ०सं० 89/2026 की घटना का एक ही स्थान व समय अंकित है और अभियुक्त पक्ष की ओर से पंजीकृत कराये गये अभियोग में इस मामले का वादी पक्ष भी अभियोजित है। उनका तर्क है कि घटना का जनता कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। सभी साक्षी एक ही परिवार के है। अभियुक्त/प्रार्थी बी०फार्मा का छात्र है ,उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त/प्रार्थी की अभियोग में किसी विशिष्ट भूमिका का साक्ष्य नहीं है। चुटैल साक्षीगण सहित किसी अन्य साक्षी ने अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा घटना में आग्नेयास्त्र के प्रयोग करके चोट पहुँचाने का कोई कथन नहीं किया है।

विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से उपरोक्त तर्को का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अन्य सहअभियुक्तगण के साथ घटनास्थल पर उपस्थित था और घटना में शामिल हुआ था। उनका तर्क है कि यद्यपि चुटैहल साक्षी ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग अभियुक्त/प्रार्थी से भिन्न व्यक्ति द्वारा किये जाने का साक्ष्य दिया है, तथापि अभियुक्त/प्रार्थी की घटना में सक्रिय संलिप्तता रही है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी सहित सभी अभियुक्तगण ने रायफलों, लाठी–डण्डों व तमंचों के साथ घटनास्थल पर उपस्थित हुए है और घटना को कारित किया है।

उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी मुकदमा खालिद पुत्र सलामत की ओर से

दिनांक 15–06–2026 को इस आशय से पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रारम्भ हुआ कि वादी मुकदमा समय करीब लगभग सुबह 8.00 बजे अपने घर के गेट पर खड़ा था, तभी गाँव के अमजद पुत्र रहमत तुल्ला, यासीन, जफर, मौ०आरिफ, फिरासत पुत्रगण अमजद, फैजान, इमरान पुत्रगण जफर, इरशाद पुत्र फिरासत, निवासी गण जटपुरा हाथों में रायफल और तमंचे नाजायज लेकर आये और वादी मुकदमा को गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे। वादी मुकदमा ने गालियों का विरोध किया, तो मौ० आरिफ ने तमंचे से फायर मारा, तो खालिद के हाथ में जाकर लगा। खालिद केा बचाने आये गुलफाम पुत्र मौ०उमर, फिरासत पुत्र इसरत अली पर भी जफर पुत्र अमजद, इरशाद ने जान से मारने की नीयत से फिरासत और गुलफाम पर फायर कर दिया। फिरासत के गर्दन पर फायर लगा व गुलफाम के आंख पर फायर लगा और उपरोक्त सभी मुल्जिमान फायर करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। भागते–भागते कहकर गये सालो हमने तुम्हे पहले भी घर में घुसकर मारा था, तब भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाये। उपरोक्त मुल्जिमानों ने यह भी धमकी दी कि कोई भी कानूनी कार्यवाही की, तो अंजाम बुरा होगा।

मामले में तीनों चुटैहलों में से दो चुटैहलों को एक –एक साधारण प्रकृति की सख्त व कुन्दाला से चोट आना चिकित्सीय परीक्षण में दर्शाया गया है। एकमात्र चुटैहल को एक चोट आग्नेयास्त्र से आना दर्शाया गया है। चुटैहल को आग्नेयास्त्र की एकमात्र चोट चुटैहल साक्षी के विवेचनागत कथनानुसार अभियुक्त/प्रार्थी से भिन्न नामित अभियुक्त की ओर से पहुँचाने का कथन किया है।अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका कोई साक्ष्य अब तक की विवेचना में प्रकट नहीं है। अभियुक्त/प्रार्थी से घटना में प्रयुक्त किसी उपकरण/आयुध की बरामदगी होना अब तक की विवेचना में दर्शित नहीं है। अभियुक्त पक्ष की ओर से भी इसी समय व स्थान का उल्लेख करते हुए वादी पक्ष के विरूद्व अभियोग मु०अ० सं० 89/2026 पंजीकृत कराया जाना अभियोजन प्रपत्रों से दर्शित है। उभयपक्षों के मध्य आक्रामकता का बिन्दु विचारण में आये साक्ष्य के उपरान्त निर्धारित किया जाना है।अभियुक्त/प्रार्थी की पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्ष्य के गुणावगुण पर जाए बिना अभियुक्त/प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

तदनुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त/प्रार्थी को रू.50,000/–का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू–पत्र सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किए जाने पर, जमानत पर रिहा किया जाता है।

**दिनांक 15–07–2026**

**(भानु देव शर्मा)**
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code–UP 6545